



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072026-274439
CG-DL-E-13072026-274439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3579]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3579]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3741(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 14 मई, 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2143 (अ), तारीख 7 मई, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, “वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर” के निष्पादन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, “दी टाइम्स ऑफ इण्डिया” और “दैनिक पुण्यनगरी” में तारीख 13 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी ऋणभारों से होकर आत्यन्तिक रूप से पूर्णतः केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: पालघर

क्र. सं.	तहसिल	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	हिस्सा नं.	भूमि का प्रकार	क्षेत्र (हेक्टर में)	भुस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वसई	गोखिवरे	113 पै प्लॉट क्र. 10	..	चालू पड (वर्ग — 1)	0.0210	सरोज बाळकृष्ण पाटील सुधीर बाळकृष्ण पाटील नेहा सनतकुमार वेंडाळे सोनली अविनाष जाधव ।
2			113 पै प्लॉट क्र. 11	..	गवत पड (वर्ग — 1)	0.0080	एच.बी.बागवान ।
3			113/5 प्लॉट क्र. 16	..	—	0.0130	श्री.हरि कॉ. हाउसिंग. सोसायटी लि. ।
4			113 पै प्लॉट क्र. 17	..	गवत पड (वर्ग — 1)	0.0070	आर.डी.परदेशी ।
5			113 पै प्लॉट क्र. 18	..	चालू पड (वर्ग — 1)	0.0200	वासंती बाळकृष्ण देशपांडे ।
6			113 पै प्लॉट क्र. 19	..	गवत पड (वर्ग — 1)	0.0205	एस.बी.बावस्कर ।
7			113 पै प्लॉट क्र. 20	..	चालू पड (वर्ग — 1)	0.0250	यू.जी.राऊत ।
8			113 पै प्लॉट क्र. 21	..	गवत पड (वर्ग — 1)	0.0185	केशव अर्जुन ठाकूर तुलसीदास अर्जुन ठाकूर ।

9			113पै प्लॉट क. 30	..	चालू पड (वर्ग - 1)	0.0180	केतकी बाळकृ'ण राणे, मानसी माधव सांवत ।
10			113पै प्लॉट क. 31	..	चालू पड (वर्ग - 1)	0.0140	वाय.ए.सालवी ।

[फा. सं. 2026/LML-II/12/1/WC/2519]

ऋषि गंगवार, कार्यकारी निदेशक / भूमि एवं सुविधाएं

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3741(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), *vide* number S.O.2143(E), dated the 07th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th May, 2025, (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of special railway project, namely, “Western Dedicated Freight Corridor” in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification was published in dailies, namely, “The Times of India” and “Danik Punya Nagari”, dated the 13th June, 2025, under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government, hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose, and in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act the Central Government further declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project, namely, “Western Dedicated Freight Corridor”, in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Name of district: Palghar

Sr. No	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number / Gut No.	Hissa No.	Type of Land	Area In Ha	Name of Land Owners
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Vasai	Gokhivare.	113pt. Plot no.10	-	Non-cultivated Land (Class - 1)	0.0210	Saroj Balkrushna Patil, Sudhir Balkrushna Patil, Neha Sanatkumar Vendale and Sonali Avinash Jadhav.
2			113pt. Plot no.11	-	Grass Barren (Class - 1)	0.0080	H.B.Bagwan.
3			113/5 Plot no.16	-	-	0.0130	Shri. Hari Co. Hsg. Society Ltd.
4			113pt. Plot no.17	-	Grass Barren	0.0070	R.D.Pardeshi.

				(Class – 1)		
5			113pt. Plot no.18	-	Non-cultivated Land (Class – 1)	0.0200 Vasanti Balkrushna Deshpande.
6			113pt. Plot no.19	-	Grass Barren (Class – 1)	0.0205 Shri. S.B.Bavaskar.
7			113pt. Plot no.20	-	Non-cultivated Land (Class – 1)	0.0250 U.G.Raut.
8			113pt. Plot no.21	-	Grass Barren (Class – 1)	0.0185 Keshav Arjun Thakur and Tulshidas Arjun Thakur.
9			113pt. Plot no.30	-	Non-cultivated Land (Class – 1)	0.0180 Ketki Balkrushna Rane and Mansi Madhav Sawant.
10			113pt. Plot no.31	-	Non-cultivated Land (Class – 1)	0.0140 Y.A.Salvi.

[F. No. 2026/LML-II/12/1/WC/2519]

RISHI GANGWAR, ED/L&A